न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2022/82 दर्ज तिथिः– 06.05.2022

1. दिनेश पुत्र मोहनलाल वर्मा जाति सुनार उम्र करीब 65 साल निवासी भरतपुर हाल निवासी अमरा का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, थानागाजी जिला–अलवर।

..................अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री नरेश शर्मा।
अप्रार्थी अधिवक्ताः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–09.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि हाल आराजी खसरा संख्या 181/207 वाके ग्राम अमरा का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी बन्दोबस्त सम्वत् 2060 से पहले आराजी खसरा संख्या 181/207 अंकित है। किन्तु राजस्व कर्मचरियों की भूल के कारण उक्त [illegible] में मिलान क्षेत्रफल व बन्दोबस्त संवत् 2060 के पश्चात आराजी खसरा [illegible] 18[illegible]/207 के स्थान पर 187/207 दर्ज कर दिया है। राजस्व [illegible] में प्रार्थी के खसरा संख्या में भिन्नता के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अंतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का उक्तानुसार वर्तमान [illegible] रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:03 IST
Reason: SelfAttested

में मिलान क्षेत्रफल संवत् 2060 में खसरा संख्या संख्या 187/207 के स्थान पर खसरा संख्या 181/207 दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में आराजी खसरा संख्या सही दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मिलान क्षेत्रफल संवत्2060 में खसरा संख्या संख्या 187/207 के स्थान पर खसरा संख्या 181/207 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

3. मैनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074–77 वाके ग्राम अमरा का बास तहसील थानागाजी के नवीन खाता संख्या का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
दिनेश पुत्र मोहनलाल वर्मा हिस्सा–पूर्ण जाति सुनार निवासी भरतपुर हाल निवासी अमरा का बास खातेदार	12	180	0.17 है0
		181	1.62 है0
		181/207	0.23 है0
		199	0.26 है0

4. प्रकरण में मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त संवत् 2060 का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार हैः–

बन्दोबस्त संवत् 2060		बन्दोबस्त संवत् 2028	
खसरा	रकबा	खसरा	रकबा
187/207	0.23 है0	108/2/2	18 बिस्वा
181	1.62 है0	108/2 मिन	1.62 है0
180	0.17 है0	[illegible]2/1	0.17 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:03 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में मिसल बंदोबस्त संवत् 2060 का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
दिनेश पुत्र मोहनलाल वर्मा कोम सुनार साकिन भरतपुर हाल अमरा का बास खातेदार	11	180	0.17 है0
		181	1.62 है0
		181/207	0.23 है0

6. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार है:–

> *खसरा संख्या 181/207 मिलान क्षेत्रफल मिसल बन्दोबस्त संवत् 2060 में खसरा नंबर 187/207 अंकित है जो कि गलत। प्रार्थी का सही खसरा नंबर 181/207 है0 मिलान क्षेत्रफल मिसल बन्दोबस्त संवत्–2060 के खसरा इण्डेक्ट में खसरा नंबर 181/207 ही है। मिलान क्षेत्रफल हाल नकल में खसरा संख्या 187/207 अंकित है। उक्त प्रकरण बन्दोबस्त विभाग के समय का है।*

7. इस प्रकार प्रकरण में मिसल बंदोबस्त संवत् 2060 तथा मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त संवत् 2060 का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक खसरा संख्या 108/2/2 से बन्दोबस्त संवत 2060 द्वारा नवीन खसरा 181/207 मिसल बन्दोबस्त में अंकित किया गया है। परन्तु मिलान क्षेत्रफल संवत् 2060 में खसरा संख्या 181/207 के स्थान पर खसरा संख्या 187/207 अंकित किया गया है। हाल जमाबन्दी तथा नक्शा वाके ग्राम अमरा का बास में साबिक खसरा संख्या 108/2/2 से हाल खसरा संख्या 181/207 ही अंकित किया गया है। अतः मिसल बंदोबस्त संवत् 2060 तथा मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त संवत् 2060 का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक खसरा संख्या 108/2/2 से बन्दोबस्त संवत 2060 द्वारा नवीन खसरा कायम करते समय मिलान क्षेत्रफल संवत् 2060 में 181/207 के स्थान 187/207 सहवन से लिपिकीय त्रुटि से अंकित हो गया। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:03 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

> *प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी में मिलान क्षेत्रफल संवत् 2060 में अंकित हाल खसरा संख्या 187/207 को कलमजन कर उसके स्थान*

दिनेश बनाम सरकार

2022/82

निर्णय दिनांकः-09.05.2023

पर __181/207__ का अंकन करने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 09.05.2023 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते